

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017


जयपुर, दिनांक 02-08-2018

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(8)न्याय/2017 दिनांक 16.4.2018 में अतिरिक्त संशोधन करते हुए, उपरोक्त अधिसूचना द्वारा नवसृजित एवं पूर्व से कार्यरत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के नाम परिवर्तित कर निम्नानुसार नियत करती है:-

| क्र. सं. | अधिसूचना दि. 16.4.2018 द्वारा नवसृजित न्यायालय का नाम                   | पूर्व से कार्यरत न्यायालय का नाम                               | अधिसूचना दि. 16.4.18 द्वारा नवसृजित न्यायालय का परिवर्तित नाम                    | पूर्व से कार्यरत न्यायालय का परिवर्तित नाम                               |
|----------|---|--|--|--|
| 1.       | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, कामां | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां | अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, कामां | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, कामां |
| 2.       | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, नगर   | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर   | अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, नगर   | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, नगर   |
| 3.       | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, फलौदी | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलौदी | अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, फलौदी | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, फलौदी |


राज्यपाल के आदेश से

  
02.8.18  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भरतपुर/जोधपुर जिला।
8. संबंधित न्यायालय।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
14. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

  
2-8-18  
(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव